भारत सरकार

मात्स्यिकी, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय

पशुपालन और डेयरी विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या- 602

दिनांक 25 जून, 2019 के लिए प्रश्न

विषय: डेयरी के माध्यम से किसानों की आय में वृद्धि करना

602. डॉ॰ प्रीतम गोपीनाथराव मुंडेः

डॉ॰ श्रीकांत एकनाथ शिंदेः

श्री श्रीरंगा अप्पा बारणेः

क्या मात्स्यिकी, पशुपालन और डेयरी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार किसानों की आय बढ़ाने के मामले में चुनौतियों का सामना कर रही है;

(ख) यदि हां, तो क्या डेयरी कृषि आय बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी;

(ग) यदि हां, तो क्या सहकारिता क्षेत्र और निजी क्षेत्र को समान अवसर देने की आवश्यकता है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या निजी क्षेत्र ने सहकारिता क्षेत्र की तुलना में अधिक क्षमता का सृजन किया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) क्या सहकारिता क्षेत्र को दी जाने वाली राज सहायता के कारण निजी क्षेत्र बाधित हुआ है और यदि हां, तो निजी क्षेत्र की समस्याओं को दूर करने और कृषि आय को बढ़ावा देने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

उत्तर

मात्स्यिकी, पशुपालन और डेयरी राज्यमंत्री

(डॉ. संजीव कुमार बालियान)

(क) जी हां।

(ख) जी हां, डेयरी क्षेत्र राष्ट्रीय जीडीपी में लगभग 3% का योगदान देता है और 6.4 करोड़ ग्रामीण परिवारों की सहायता का मुख्य आधार है और पिछले पांच वर्षों में डेयरी आउटपुट का मूल्य 13.4% सीएजीआर की दर से बढ़ा है। यह डेयरी किसानों की आय बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है।

(ग) और (घ) खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार एक योजना नामत: प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना कार्यान्वित कर रहा है जिसके अंतर्गत सहकारी क्षेत्र के साथ-साथ निजी क्षेत्र को कोल्ड चेन, दूध के प्रसंस्करण और दुग्ध एवं दुग्ध उत्पादों के परिरक्षण के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर के निर्माण हेतु सहायता दी जाती है। सहकारी डेयरी क्षेत्र के संबंध में, यह विभाग डेयरी इंफ्रास्ट्रक्चर के निर्माण और उसे मजबूत करने के लिए निम्नलिखित डेयरी विकास योजनाओं को क्रियान्वित करते हुए अनेक राज्य सरकारों के

प्रयासों को संपूरित कर रहा है जिसका उद्देश्य दूध उत्पादन के विकास और वृद्धि को गति प्रदान करना है:

(i) राष्ट्रीय डेयरी विकास कार्यक्रम (एनपीडीडी)

(ii) डेयरी प्रसंस्करण और इंफ्रास्ट्रक्चर विकास निधि (डीआईडीएफ)

(iii) राष्ट्रीय डेयरी योजना-I (एनडीपी-I)

(iv) डेयरी क्रियाकलापों में संलग्न डेयरी सहकारिताओं और किसान उत्पादक संगठनों की सहायता (एसडीसी और एफपीओ)

(ड़) भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण (एफएसएसएआई) के पास डेयरी क्षेत्र में डेयरी संयंत्र संबंधी पंजीकरण और लाईसेंस का डाटा हैं, लेकिन इसे निजी और सहकारी क्षेत्र में अलग-अलग नहीं किया गया है। राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड की वार्षिक रिपोर्ट 2017-18 के अनुसार, सहकारी क्षेत्र के पास दुग्ध प्रसंस्करण क्षमता 729.19 लाख लीटर प्रतिदिन है, इसलिए एफएसएसएआई से विस्तृत डाटा लेने और दोहराव को हटाने के पश्चात्, निजी क्षेत्र का डाटा प्रदान किया जाएगा।

(च) जैसाकि उपर भाग (ग) और (घ) में उल्लेख किया गया है, निजी डेयरी क्षेत्र को खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार की योजनाओं के अंतर्गत समर्थन दिया जाता है। इसके अलावा, पशुपालन और डेयरी विभाग, भारत सरकार डेयरी उद्यमशीलता विकास योजना कार्यान्वित कर रहा है जिसका उद्देश्य डेयरी और विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में स्व-रोजगार के अवसर प्रदान करना और उद्यमिता के बढ़ावा देना है। जहां तक सहकारी डेयरी क्षेत्र का संबंध है, यह विभाग डेयरी इंफ्रास्ट्रक्चर के निर्माण और उसे मजबूत करने के लिए डेयरी विकास योजनाओं को कार्यान्वित करते हुए विभिन्न राज्य सरकारों के प्रयासों को संपूरित कर रहा है, जिसका उद्देश्य दुग्ध उत्पादन के विकास और वृद्धि को गति देना है। व्यापक रूप से देश में कुल दूध उत्पादन में संगठित निजी क्षेत्र का कवरेज 10.2 प्रतिशत है, जबकि संगठित सहकारी क्षेत्र का कवरेज 10.3 प्रतिशत है। पिछले दशक में निजी क्षेत्र की क्षमता में तीव्र विकास यह दिखाता है कि यह क्षेत्र डेयरी क्षेत्र में सफल हो रहा है और मूल्य संवर्द्धित उत्पादों पर इसकी छाप अधिक स्पष्ट है।

******